

भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विलिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

परिपत्र CIRCULAR. No. 35 / 2016-17

विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति- दिनांक 30.08.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त- संबंधित

Sub: Customs Clearance Facilitation Committee—Minutes of the meeting held on 30.08.2016—Reg.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की 14वीं बैठक दिनांक 30.08.2016 को दोपहर 3:30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 14th meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 3.30 PM on 30.08.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे : सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present for the meeting S/Shri/Smt:

1. S. Anilkumar, Additional Commissioner
2. Amreetha Titus, Deputy Commissioner
3. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
4. Debashish Paul, Asst. Commissioner
5. Mohammed Rafic M., Asst. Commissioner
6. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
7. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
8. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
9. Maya Kurien, Superintendent of Customs
10. Gomathy G., Superintendent of Customs
11. Usha V., Superintendent of Customs

सीमाशुल्क से विचार-विमर्श करने वाले विभागों/एजेंसियों/पणधारियों के प्रतिनिधि: सर्वश्री
Representatives of agencies/ stake holders interacting with Customs S/Shri:

1. D.Iyyanar, Plant Quarantine Station
2. B. Venu, Quality Assurance Officer, Textile Committee
3. Raj Vinod P, Cochin Port Trust
4. Dr. Jestu George, FSSAI, Cochin
5. J. Raghupathy, Central Drugs Standard Control Organisation
6. R. Sekhar, Container Corporation of India Pvt. Ltd.
7. Mukul Nayan, DP World

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और 29.07.2016 को आयोजित सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा।

The Chair welcomed the members to the meeting and read out the minutes of the CCFC meeting held on 29.07.2016. Then fresh points were taken up for discussion.

चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे

FRESH POINTS TAKEN FOR DISCUSSION

बिंदु 1 : एन.ओ.सी. की हार्ड कॉपी जारी करना (एफसीसीआई)

Point 1.: ISSUANCE OF HARD COPY OF NOC (FSSAI)

एफएसएसआई के श्री जेस्टो जॉर्ज ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उनके मुख्यालय ने कोचिन कार्यालय को एन.ओ.सी. की हार्ड कॉपी जारी करना रोकने के निर्देश दिए हैं क्योंकि सिंगल विंडो के माध्यम से ऑनलाइन निकासी दी जानी है। सिंगल विंडो में एफएसएसआई को संदर्भित न की जाने वाली मदें जैसे पुनः-निर्यात कन्साइन्मेंट की निकासी के लिए एन.ओ.सी. को हार्ड कॉपी में जारी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उनके द्वारा सिंगल विंडो प्रक्रिया में संदर्भित न की जाने वाली मदों की सूची नियमित रूप से भेजे जाने के बावजूद अभी तक कोई भी नई सीटीएच नहीं जोड़ी गई है।

Shri Jesto George of FSSAI informed the Chair that their Head quarters has directed the Cochin Office to stop issue of hardcopy of NOC as clearance is to be given online through single window. For clearance of items such as Re-export consignment etc. which are not referred to FSSAI in Single window, there is no option but to issue NOC in the form of hard copies. Though they are regularly forwarding the list of items not referred in the single window procedure, no new CTH has been added so far.

श्री देवाशीश पॉल ने कहा कि मैनुअल बिलों के तहत कन्साइन्मेंटों की निकासी तथा ट्रान्शिपमेंट के अधीन कारगो के लिए भी एन.ओ.सी. हार्ड कॉपी में ही दिया जाना है।

Shri Devashish Paul said that for clearance of consignment under Manual bills and cargo under transshipment also, NOC is to be given in hard copy.

अध्यक्ष महोदय ने अपना मत व्यक्त किया कि टैरिफ शीर्ष में भी परिवर्तन है, बिल अपने आप सिंगल विंडो की कतार में नहीं आएंगे और एफएसएसआई से अनुरोध किया कि आयुक्त (एसडब्ल्यू) से स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक वर्तमान तरीका जारी रखें, इसके अलावा लेखापरीक्षा और प्रलेखन के लिए हार्ड कॉपी की जरूरत होती है।

The Chair opined that in case there is a change in Tariff heading also, the bill will not come automatically to single window queue and requested the FSSAI authorities to continue with the present practice until a clarification is received from the Commissioner (SW); further hard copies are required for audit and documentation purpose.

बिंदु 2 : ओ.ओ.सी. के लिए सिस्टम में सुधार

Point 2 : MODIFICATION IN THE SYSTEM FOR OOC

श्री भुवनचंद्रन ने सूचित किया कि महानिदेशालय (सिस्टम) ने आउट ऑफ चार्ज देने के लिए दिनांक 30.08.2016 से सिस्टम में कुछ सुधार किया है। इस सुधार के फलस्वरूप जब्त की गई या आगम पत्र में विविध कारणों से निकासी/एनओसी नहीं दी गई मदों को आगम पत्र से हटाया जा सकता है और ऐसे मामलों में मैनुअल आउट ऑफ चार्ज देने की पुरानी प्रक्रिया के स्थान पर ऑन लाइन आउट ऑफ चार्ज दिया जा सकता है।

Shri Bhuvanachandran informed that DG (System) has added a new modification in the system for giving Out of Charge from 30.08.2016 onwards. With this modification the items which are confiscated or not given clearance/NOC for various reasons in a Bill of Entry, can be deleted from the Bill of Entry and OOC can be given online unlike the earlier practice of giving manual Out of Charge in such cases.

अध्यक्ष महोदय और अन्य सदस्यों ने इस खबर का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने एफएसएसआई के पास लंबित मामलों में कमी होने पर भी संतोष जताया।

The Chair and other members welcomed this news. The chair also expressed satisfaction on the less no of pendency with FSSAI.

बिंदु 3 : सिंगल विंडो के तहत रिपोर्ट दर्ज करने में कठिनाई (कपड़ा समिति)

Point 3: DIFFICULTY IN ENTRY OF REPORT UNDER SINGLE WINDOW (Textile Committee)

कपड़ा समिति के श्री बी.वेणु ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उनके सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद, उन्हें सिंगल विंडो के तहत रिपोर्ट दर्ज करना एक बोझीला काम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मापदंड देने होते हैं।

Shri B Venu of Textile Committee informed the Chair that in spite of their best efforts, they find the entry of report under Single Window procedure to be too cumbersome as there are too many parameters to be given.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह मामला सिस्टम्स निदेशालय के साथ उठाया जाएगा।

Chair informed that this matter would be taken up with the Systems Directorate.

बिंदु 4 : कन्सोल एजेंटों और फ्राइट फॉरवर्डरों द्वारा असंगत एवं हद से ज्यादा प्रभार वसूला जाना

Point 4: LEVY OF IRRELEVANT AND EXORBITANT CHARGES BY CONSOLE AGENTS AND FREIGHT FORWARDERS

अध्यक्ष महोदय ने बैगेजों की निकासी के लिए कन्सोल कैरियरों द्वारा वसूले जा रहे असंगत और हद से ज़्यादा प्रभारों के मामले में अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने सूचित किया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कन्सोल कैरियरों द्वारा मुसाफिरों से बहुत अधिक प्रभार वसूले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एल.सी.एल. केटेनरों के लिए भी कैरियरों द्वारा हरेक कन्साइनी को व्यक्तिगत रूप से प्रभारित किया जाता है और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो ऐसे कैरियरों के खिलाफ इस संबंध में जारी व्यापार सुविधा के अनुसार कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और व्यवसाय करने के लिए दी गई अनुमति वापस ली जाएगी।

The Chair expressed his concern over the irrelevant and exorbitant charges levied by the console carriers for clearance of baggage. He informed that a no of incidents have come to notice wherein the passengers were charged heavily by the Console carriers. He added that even for LCL Containers, every consignee is charged individually by the Carriers and if this

practice continues, serious action will have to be taken against such Carriers as per the Trade Facility issued in this regard and permission granted to conduct transaction will be withdrawn .

सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया।

All the Members welcomed this.

चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाए जाने के कारण, अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in. के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल [ccu@cochincustoms . gov. in/ ccucochin@gmail.com](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in). के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in / ccucochin@gmail.com.

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.

तारीख Dated: 05.09.2016

//अनुप्रमाणित Attested//

(वी. उषा V. USHA)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members